प्रोन्नति के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश

1- विद्यालयों में प्रोन्नति के लिये 4:1 का नियम सामान्यतः लागू होगा।
2- जो विद्यालय उच्चीकृत हुए है उन पर 4:1 का नियम लागू नहीं होगा। उनके लिए आचार्य सेवा नियमावली की धारा 21(2) का संदर्भ लिया जायेगा।
3- जिस विद्यालय में प्रोन्नति होनी है उस विद्यालय के अर्ह आचार्यो से आवेदन लिया जा सकेगा अर्थात् सम्बन्धित विद्यालय में कार्यरत सभी आचार्यो के लिये प्रोन्नति का समान अवसर उपलब्ध होगा।
4- प्रोन्नति के लिये एक श्रेणी नीचे के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की स्थायी सेवा अनिवार्य होगी।
5- प्रोन्नति के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम योग्यता स्नातक 50 प्रतिशत, परास्नातक 55 प्रतिशत एव ंबी.टी.सी./बी.एड./डी.एल.एड./एम.पी.एड. व अन्य प्रोफेशनल कोर्स में 60 प्रतिशत होना अनिवार्य होगा।
6- विद्यालयीय सेवा काल के दौरान अभ्यर्थी किसी भी अवांछित कृत्य/घटना/ अनैतिक आचरण आदि का दोषी न रहा हो अथवा किसी भी न्यायालय या विद्यालय प्रबन्धन द्वारा लिखित रूप से दण्डित न किया गया हो।
7- अभ्यर्थी के द्वारा अध्यापित विषय का परिणाम उत्कृष्ट रहा हो। शिक्षण कौशल गुणवत्ता पूर्ण हो तथा छात्र (भैया/बहनों) के बीच अच्छे शिक्षक के रूप में पहचान बनी हो।
8- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य (बन्धु/भगिनी) अपने विद्यालय से प्राप्त सभी आवेदन पत्र उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए मूल्यांकन कर अपनी स्पष्ट आख्या देगें तथा अपनी सहमति व असहमति के लिए स्पष्ट कारणों का उल्लेख भी करेगें।
9- इस प्रकार से प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर अन्तिम निर्णय लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के उपरान्त प्रान्त द्वारा निर्धारित परीक्षण समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) का मान्य होगा।